

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 253/अ.प्र.॥१६

विषय: - स्पा. प्रवृत्त 3. 19774/15 - डा. विनोद कुमार
214-1

— b —

माननीय उच्च न्यायालय जलकपुर से प्राप्त
पत्रा. 1069/16 दि. 18/2/16 का वृत्तवा अवलोकन
करना चाहे। जिससे डा. स्पा. प्रवृत्त 3. 19774/15
डा. विनोद कुमार 214 से प्रवृत्त के 'आर्थिक' लंका
के भेजी गई है। प्रवृत्त के ओ. मा. नि. वनाये
जाने लंबी निर्यात प्रदान गला-चाहे।

प्राचार्य, विंगरीली। लीड के लेंच
वेबन की 0.12 वनाये का
स्मृता ही

नमस्ते स्वप्रतिफलन 16/02/16

(अनुप्रा) निदेशानुसार ओ. मा. नि. वनाये जाने
हेतु स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षर प्रस्तुत।

0.12 वनाये जाने हेतु स्वच्छ
प्रति हस्ताक्षर प्रस्तुत

आयुक्त/कनिष्ठ 16/02/16

216/16
19/2/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 253/2/16

विषय:- भा. 9574/15 - 510 विनोद पु. राय

पूर्व से
आयुक्त महोदय से निर्देशानुसार
संशोधित OSCA को बनाया।

21/02/16

संशोधित स्तम्भ प्रतियाँ हस्तासरायी प्रस्तुत।

23/2

रुपय

संशोधित स्तम्भ प्रतियों पर
हस्तासरायी करना।

26/02/16

आयुक्त सचिव

27/2/16

29/02/16

25/2/16

REGD.	23/2
IN.	23/2
DATE	27/2/16

27/2/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक...253/8115/16

विषय:- ०५१० प्रश्न ३ 19774/15 - 510 विनोद पु०
२१५ १

आदेश क्रमां ५१५-५१५ द्वारा प्रश्न में प्रभावी
अधिवक्ता नियुक्त किया जा चुका है। कृपया नमकी
प्रतिवेदन हेतु विधि विभाग को सूचित करना चाहे।

सुपरी,

A - प्रतिवेदन हेतु नमकी विधि
विभाग की संकेत करना
चाहिए। ०५/०३/१६

५६
१-३ ०५०

२/३/१६

~~आयुक्त/सचिव~~

विधि - विभाग

५३

No. 263/8115/16

उमाकांत उमराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

१/३/१६
१२/३/१६

7/42

पृष्ठ क्र. 64

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 253/211/म.प्र.11

विषय:— 410 प्रश्न 3, 19774/15 - 510 विनोद पु. 214,

20
11-2-16

①

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR**

Process Id: 1069/2016

WP/19774/2015

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

पंजीकृत आवक 1646
दिनांक 9/2/16

for admission

Fixed for 18-02-2016

WP-DA-13

Respondent No. 2

To,

Commissioner Higher Education
Department,
M.p. Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 05-01-2016

न्यायाधीश
9-2-16

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19774/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Dr. Vinod Kumar Rai** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19774/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

20/1/16
10/2/16

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



Your faithfully

(Signature)

DEPUTY REGISTRAR



11/11
11/11

11/11
11/11

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ५५५/२५३ शासकीय-११६ मोपान, दि० २७-२-१६

सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का अधिकतम संख्या-५) के आदेश सत्ताईस नियम-१ तथा
अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए

न्या. शासकीय आनि. शासकीय

रीवा संभाग रीवा को याचिका क्रमांक १९७७५/१५-५१

(पक्षकारों के नाम) डा. विनोद पु. राय

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आदेश करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त परचात दोदों में ऐसी स्थिति में जिसके ध्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

१/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसा जाच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जावेगा।

२/ समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

३/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

४/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।

५/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

१/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।

२/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।

३/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वल्प न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

४/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

६/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्थय को सदैव अवगत रखेगा।

७/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया जाता है, विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।

८/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिकारता की हर संभव मदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि बाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे।

12/ महत्वपूर्ण, नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27.2.16

पृष्ठ 415/253 उशिवि/मंत्रालय/न्याय/
प्रतिलिपि:-

1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय मद्रास जयलपुर/मद्रास/गवर्नर सभाग मद्रास की ओर।

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल

3/ संबंधित जिलाध्यक्ष सीवा सीवा मध्यप्रदेश।

प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रपत्र। साथ ही शासकीय अधिकारता से सम्बन्धित करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिकारता से आग की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये बाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की सुनवाई की तारीख की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।

5/ क्षेत्रीय उत्तिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा
की ओर सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल